न्यायालय सिविल जज, (जू0डि0), बीसलपुर, जिला पीलीभीत।

मूल वाद संख्याः 72 सन् 2020

C.N.R-U.P.P.B12000088-2020

छोटे लाल —बनाम— दिबारी लाल।।

वाद प्रस्तुत करनें का दिनांक : 14.09.2020
वाद का प्रकार : स्थाई निषेधाज्ञा।
अधिवक्ता वादी : श्री रवि एम0 सक्सेना, एड0.
अधिवक्ता प्रतिवादी :

दिनांकः14.09.2020

आज यह वाद प्रस्तुत हुआ। दर्ज रजिस्टर नं03 है। प्रतिवादी को समन जारी हो। पत्रावली वास्ते लिखित कथन दिनांक 14.10.2020 एवं निर्मित किए जाने वाद बिन्दु दिनांक 30.10.2020 को पेश हों।

(अनुपम सिंह)
सिविल जज,(जू0डि0),बीसलपुर,
जिला पीलीभीत।

दिनांकः14.09.2020

वादी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र 6ग पर एक पक्षीय रूप से सुना। प्रार्थना पत्र 6ग वादी की ओर से इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि वादी के पिता चेतराम व उनके भाई छेदा लाल ने वर्ष 1950 को द्वारा पंजीकृत बैनामा मकान स्थित मोहल्ला दुर्गा प्रसाद, कस्बा व तहसील बीसलपुर, पीलीभीत, क्रय किया था, जिसमें वादी और उसका सगा भाई इतवारी लाल बराबर 1/2 भाई पर रह रहे है, जिसे वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शानजरी में अक्षर ए,बी,ई,एफ से प्रदर्शित किया तथा जिसकी चतुर्दिक सीमाएं—वादपत्र में वर्णित है तथा नक्शानजरी वाद पत्र के साथ संलग्न है, का स्वामी है। प्रतिवादी का उक्त प्रश्नगत सम्पत्ति पर कब्जा कर विक्रय करनें हेतु प्रयासरत है। अतः निषेधाज्ञा द्वारा प्रतिवादी को ऐसा करनें से निषेधित कर दिया जाये।

अवलोकनीय है कि प्रस्तुत वाद में वादी द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति को पैतृक होना बताया गया है तथा वादी एवं प्रतिवादी एक ही परिवार के व्यक्ति है। अतः ऐसी स्थिति में प्रतिवादी को बिना सुने एक पक्षीय रूप से अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी किए जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। प्रतिवादी को नोटिस जारी हो। वादी पैरवी अन्दर सप्ताह करें। पत्रावली वास्ते आपत्ति निस्तारण 6ग दिनांक 30.09.2020 को पेश हो।

(अनुपम सिंह)
सिविल जज,(जू0डि0),बीसलपुर,
जिला पीलीभीत।

दिनांकः14.09.2020
S.ALAM

Digitally signed by Anupam Singh
Date: 2020.09.14 17:57:55 IST
Reason: Document Owner
Location: CIVIL
JUDGE(J.D.)/J.M
BISALPUR,PBT.